

प्रेषक,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2021

विषय: प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित केवल सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी दर का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2076/9-1-14-66सा/2001, दिनांक 09 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या-3513/9-1-14-66सा/2001, दिनांक 21 अगस्त, 2014, पत्र संख्या-3390/9-1-15-66सा/2001 दिनांक 21.11.2015, पत्र संख्या-1671/9-1-19-66सा/2001 दिनांक 25.09.2019 एवं उप श्रम आयुक्त के पत्र संख्या-1362-89/परिवर्तन (एम.डब्लू)/15, दिनांक 08.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश दिनांक 09.06.2014 एवं 21.08.2014 द्वारा निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों का पारिश्रमिक रू० 250 से अधिक होने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधानों में निहित शर्तों के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश दिनांक 25.09.2019 द्वारा श्रम विभाग के पत्र दिनांक 24.05.2019 के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों को दैनिक मजदूरी रू० 308.18, प्रतिमाह रू० 8012.73 निर्धारित की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० के पत्र दिनांक 08.10.2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों/कार्मिकों को मूल दरों एवं देय परिवर्तन/मंहगाई भत्ते के किये निर्धारण के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई

श्रमिकों/कार्मिकों की प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

क्र.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)	दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	2875.00	3008	8758	336.85

3. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार बढी हुई धनराशि के अनुसार कुल मजदूरी नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को बिना किसी कटौती के भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सर्विस प्रोवाइडर को देय कमीशन पृथक से दिया जायेगा।

संलग्नक:यथोक्त

भवदीय,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)  
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्रम आयुक्त, कार्यालय श्रम आयुक्त, उ०प्र० जी०टी० रोड, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ०प्र०।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी, उ०प्र०)।
8. समस्त नगर विकास विभाग के अनुभाग।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-१/वित्त (सामान्य) अनुभाग-२, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
10. बेबसाइड, नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाइट में तत्काल अपलोड करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)  
उप सचिव

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता**

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी 2020 से जून 2020 के औसत अंक 329 अंकों पर दिनांक: 1.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त- रूपये-5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-329 पर दिनांक: 01.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।  
(329 -216)

..... X 5750= ₹0 3008/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

कर्मक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांक:1.10.2020 से 31.3.2021 तक	
			दिनांक:1.4.2020 से 30.9.2020 तक	दिनांक:1.10.2020 से 31.3.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	2875.00	3008	8758	336.85
2	अर्धकुशल	6325	31.62.50	3309	9634	370.53
3	कुशल	7085	3542.50	3706	10791	415.04

नियोजन के नाम:-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लान्डुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिटक डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाएँ भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. घर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री)लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य,जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और विस्कुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।

- (5)
40. एस्बेस्टस सोमन्ट कारखाना आर अन्य सोमन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
  41. लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
  42. जिल्दसाजी।
  43. कोल्ड स्टोरेज।
  44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
  45. निजी मुद्रणालय।
  46. सिनेमा उद्योग।
  47. कपड़ा छपाई।
  48. सिलाई उद्योग।
  49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
  50. क्लब।
  51. हथकरघा(सिल्क की साडी की बुनाई) जरी के कार्य।
  52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
  53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
  54. खाण्डसारी।
  55. हथकरघा उद्योग।
  56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
  57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवम कौच उत्पादों के निर्माण।
  58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
  59. ईट मट्टा उद्योग।
  60. ताला उद्योग के नियोजन में।
  61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
  62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
  63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
  64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
  65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
  66. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
  67. टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रेवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
  68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
  69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
  70. विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्तें)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
  71. हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
  72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
  73. काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
  74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(सियाराम)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

**कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।**

पं. सं०-1362-89/सूच्या प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 08/10/2020

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,(वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त,(आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट [www.uplabour.gov.in](http://www.uplabour.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(सियाराम)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।